



इसके दो ओर से डाक्टर 0-1, R-10 पेश
हुआ जिसकी नकल वकील पुलिस अधीक्षक
को दिलाई गई। वकील अधीक्षक डाक्टर का
जवाब पेश नहीं करना चाहते हैं। बहस हुई
गई। पत्रावली वाले आदेश डाक्टर दिनांक
08-3-2022 को पेश हो।


उपखंड अधिकारी
महवा (दोसा)


8-3-22

पत्रावली पेश हुई। वकील डाक्टर पक्ष उपस्थित
आदेश नहीं सुनाया जा सका। पत्रावली
वाले आदेश दि-09-3-22 को पेश हो।


उपखंड अधिकारी
महवा (दोसा)

9-3-2022

पत्रावली पेश हुई, वकील डाक्टर पक्ष उपस्थित
डाक्टर बाबत पत्थर गद्दी के लिये संज्ञाप में इस
प्रकार से है कि अधीक्षक द्वारा अपनी खोल्हारी
श्रीमि आख्या नं० 42/0.72, 43/0.70, 44/2/0.26,
51/2/0.40, 52/0.89, 53/1.86, 54/0.39,
55/0.47, 60/2.31 कुल किला 9 रकबा 8.00 हेक्टेर
स्थित ग्राम गाजीपुर तहसील महवा का सीमांकन
अनुसार पत्थर गद्दी करवाने हेतु निवेदन किया है।
पत्थर गद्दी के अभाव में अधीक्षक द्वारा अधीक्षक
की श्रीमि हस्तक्षेप किया जाता है जिससे अधीक्षक
के कर्तव्य का अर्थ में परेशानी उत्पन्न होती है।
डाक्टर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीक्षक की
तलबी की गई। अधीक्षक संख्या 2 से 12, 16 से 22, 24
25, 27 से 31 की ओर से श्री सत्यनारायण शर्मा सड़. एवं
श्री शिवचरण शर्मा सड़. ने वकालत नामा पेश किया।
अधीक्षक द्वारा डाक्टर 0-1, R-10 जाचकी पेश किया
कि अधीक्षक सं० 1, 13, 14, 15, 23 व 26 को


उपखंड अधिकारी
महवा जिला-दोसा (राज.)

न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

बनाम

मु. सं.

हजफ किया जावे। उक्त श्रावण का वकील का जवाब पेश करना नहीं कहते इसलिए श्रावण पर कहस उभय सुनी गई तथा श्रावण 01, 10 स्वीकार किया जाता है। श्रावण संख्या 1, 13, 14, 15, 23 व 26 के नाम हजफ किये जानेके आदेश दिये जाते हैं। इनके नाम के आगे हजफ शब्द लिखा जावे। वकील श्रावण द्वारा श्रावण बाबत पत्थर गद्दी का भी जवाब प्रस्तुत करना नहीं कहते हैं। इसलिए श्रावण पर कहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। श्रावण राजस्व रिकार्ड अनुसार खालेदार काश्तकार हैं तथा अपनी खालेदारी भूमि की सुरक्षा हेतु पत्थर गद्दी करवाना चाहते हैं। इसलिए श्रावण का श्रावण स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः श्रावण का श्रावण बाबत पत्थर गद्दी स्वीकार किया जाता है। श्रावण की खालेदारी भूमि ख. नं. 42, 43, 44, 51/2, 52, 53, 54, 55, 60 कुल किता 9 रकबा 800 हेक्टेयर वाले ग्राम गाजीपुर तहसील महुवा का निम्न प्रकार शुल्क जमा करवाकर सीमा ज्ञान करते हुए निश्चालन कार्य कर पत्थर गद्दी करवाने हेतु तहसीलदार महुवा को आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार महुवा को लिखा जावे। पत्रावली फंशल नुमांर होकर नम्बर से कम हो।

उपखंड अधिकारी
महुवा जिला-दौसा (राज०)